दस रुपये TEN RUPEES

दस रुपये TEN RUPEES

54

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल (केम्प सागर) मध्यप्रदेश

R. 541-III/14

1. **देवी पिता राधेलाल घोषी** उम्र 50 वर्ष
2. लाखन पिता वृन्दावन घोषी उम्र 38 वर्ष

दोनों निवासी ग्राम खाताखेडी तह राहतगढ जिला सागर (म.प्र.)

- पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

1. इंद्रजीत सिंह पिता स्व. लाला बूटाराम
2. नरेन्द्र सिंह पिता लाला बूटाराम
3. हरभजन कौर पिता लाला बूटाराम
4. राजेन्द्र कौर पिता लाला बूटाराम
5. हरजीत कौर पिता लाला बूटाराम
6. सुरेन्द्र कौर पिता लाला बूटाराम
7. सतपाल कौर पिता लाला बूटाराम

सभी निवासी 1 व 7 प्रताप नगर कालोनी इंदौर (म.प्र.)

- प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्तागण निम्नलिखित विनय प्रस्तुत करते है –

उपरोक्त पुनरीक्षण माननीय अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ जिला सागर के समक्ष लंबित अपील कमांक 27अ/6 वर्ष 2012-13 में पारित आदेश दिनांक 20.01.2014 आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 में किये आदेश से दुखित होकर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया है जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष लंबित अपील के प्रतिपुनरीक्षणकर्ता गण द्वारा दिया आवेदन जिसमें तहसीलदार द्वारा की गई अवैधानिकताओं को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा औपचारिकताओं की पूर्ति की जावेगी। जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है।

1. संषोधन पंजी कमांक 40 आदेष दिनांक 20.06.2005 से दुखित होकर निम्न तथ्य एवं आधारों पर पुनरीक्षणकर्ता निम्नानुसार अपील प्रस्तुत की थी।

2. यह कि पुनरीक्षणकर्ता की पैतृक भूमि मौजा जलंधर तह राहतगढ प.ह.नं 38 जिला सागर स्थित खसरा नम्बर 1897, 1871, 1866, 1872 रकवा 1.05, 6.98, 0.49, 7.54 हेक्टेयर स्थित है। जिस पर पुनरीक्षणकर्ता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

देवी सिंह

54

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

— 2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-441-तीन/2014 जिला सागर देवी विरूद्ध इंद्रजीत

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री हरदास कुर्मी उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 27अ/6 वर्ष 2012-13 में पारित आदेश दिनांक 20-01-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 03-02-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर को अंतरित किया जाता	

4.1.19

है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन)
सदस्य
4.1.19